

NSD

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बाजदायरी
हकीमा
30/1/19


APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नाम श्री मंगला राम चौधरी एडवोकेट बन्नाम राज-लक्ष्मी लक्ष्मी हकीमा
नाम मंगला नम्बर नसीरवाडी व अन्य
किस्म मुकदमा प्राप्तवादी नम्बर 498/2019 सन् 20 19 (नसीरवाडी)

2019/50499

(देनाह)

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुकम की तामील जारी हुए
पेशी <u>30.12.19</u>	श्री <u>मंगला राम चौधरी</u> श्री यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री मंगला राम चौधरी एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 30.01.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।  राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	